

श्री आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 12.01.2015 को आयोजित "जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों" की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही टिप्पणी :-

उपस्थिति : यथापंजी ।

दिनांक 12.01.2015 को जिलास्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए इस सप्ताह में किये जाने वाले कार्यों के लिए निम्नवत निर्देश दिये गये तथा यह भी निर्देशित किया गया कि अगली बैठक के पूर्व में दिये गये कार्यों का अनुपालन करते हुए बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन शनिवार तक निश्चित रूप से जिला गोपनीय शाखा, जहानाबाद को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

क्र०	पदाधिकारी का नाम	इस सप्ताह में किये जाने वाले कार्य
1	1. उप विकास आयुक्त, जहानाबाद 2. निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जहानाबाद।	<p>1.. <b>स्वच्छ भारत मिशन</b> : मखदुमपुर प्रखण्ड के कलानौर पंचायत को प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है तथा 15 जनवरी, 2015 तक इसमें सभी घरों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही 15 जनवरी, 2015 तक निर्मित 3000 शौचालयों के राशि भुगतान का कार्य कराने हेतु लक्ष्य विभाग से निर्धारित किया गया है, जिसे हरहालत में पूर्ण कराना है। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद के द्वारा बताया गया कि अभी तक मात्र 705 लाभुकों की सूची प्राप्त हुई है, जिसे भुगतान किया जाना है। सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी से निर्मित शौचालय जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है चाहे वह इंदिरा आवास का हो अथवा मनरेगा का हो, उसकी सूची प्राप्त कर भुगतान के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्रवाई करेंगे।</p> <p>2. <b>SECC</b> : उप विकास आयुक्त जहानाबाद के द्वारा बताया गया कि 600 आपति आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनका इंटी दिनांक 12.01.2015 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।</p> <p>3. <b>IAY</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना के तहत वैसे सभी इंदिरा आवास लाभूक जिनके द्वारा पूर्व में इंदिरा आवास योजना के तहत भवन का निर्माण किया गया है, वह अधूरा है, टूट गया है, छत क्षतिग्रस्त हो गया है या रहने के योग्य नहीं है, उसके मरम्मतों के लिए सूची तैयार किया जाना है। जिसका फोटोग्राफ लेकर बैंक खाता खोलाकर उसे 30000/- रूपया की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किया जाना है। इसके लिए विभाग से 2925 का लक्ष्य निर्धारित है।</li> <li>सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना कि कोई भी अनुजाति/जनजाति के सुयोग्य परिवार इंदिरा आवास से वंचित नहीं है।</li> <li>वर्षवार प्रखण्डवार/ पंचायतवार इंदिरा आवास कितने लाभार्थियों की गई है, इसका सूची तैयार करना, उनमें से कितने को प्रथम एडवांस दिया गया, कितने को द्वितीय किस्त किया गया, कितने के द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया, कार्य की भौतिक स्थिति क्या है, कितनी राशि अवशेष है, इसका प्रतिवेदन तैयार करना। जिनके द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उसका फोटो आवास साफ्ट पर अपलोड करना।</li> <li>प्रथम किस्त प्रखण्डवार कितने-कितने लाभुकों को दिया गया तथा उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है अथवा नहीं? इसकी समीक्षा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनिश्चित किया जाना।</li> <li>इंदिरा आवास से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों का जाँच प्रखण्ड प्रभारियों से उसी सप्ताह में सुनिश्चित कराना तथा जिनके पास जाँच लम्बित है, उनसे एक सप्ताह के अंदर जाँच सुनिश्चित कराना।</li> </ul> <p>4. <b>SGSY</b> ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MIS entry weekly Status report blockwise</li> </ul> <p>5. <b>MNREGA</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आई.पी.पी. योजना के कार्य का समीक्षा किया जाना।</li> <li>प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सभी जॉब कार्डधारियों का बैंक खाता खुलवाना एवं इसकी समीक्षा कार्यक्रम पदाधिकारियों से प्रतिदिन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।</li> <li>मनरेगा की योजना को बुधवार को जाँच कराना तथा जाँच-प्रतिवेदन को समेकित कर संचिका कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करना। जिला पदाधिकारी के पास जाँच हेतु लम्बित है, उनको अर्द्ध-सरकारी पत्र निर्गत करना।</li> </ul>

